रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 1975/आषाढ़ 3, 1897
No. 117] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 1975/ASADHA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th June 1975

SUBJECT.—*Release of spare parts of agricultural tractors from Customs BondedB Warehouse.*

No. 52-ITC(PN)/75.—It is notified for the information of all concerned that licences granted for import of spare parts of agricultural tractors will also be automatically valid for obtaining supplies of imported spare parts from the Customs Bonded Warehouse at Bombay, irrespective of the port of registration indicated therein No specific endorsement for this purpose will be required on the import licences

2. It has also been decided that the facility of obtaining supplies of imported spare parts of tractors from the Customs Bonded Warehouse shall also be applicable in respect of import of spare parts of tractors by any individual for his own use as per the provision made in the Saving Clause No. 11(2)(i) of the Imports (Control) Order, 1955, as amended. In other words, subject to fulfilment of other conditions stipulated in the aforesaid Saving Clause, the individual tractor owners can draw supplies of imported spare parts of tractors from the Customs Bonded Warehouse, without having to obtain any specific permission from the licensing authority for this purpose.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 जून, 1975

विषय:—सीमा शुल्क द्वारा बद्ध माल गोदाम से कृष्य ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की रिहाई ।

संख्या 52—आई टी सी (पीएन)/75—सभी सम्बद्धों की सूचना के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि कृष्य ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के आयात के लिये प्रदान किये गये लाइसेंस भी उनमें संकेतित पंजीकरण के पत्तन पर ध्यान दिये बिना ही, सीमा शुल्क द्वारा बम्बई में बद्ध माल गोदाम से आयातित फालतू पुर्जों का संभरण प्राप्त करने के लिये स्वत: वैध होंगे । इसके लिये, आयात लाइसेंसों पर विशेष पृष्ठांकन कराने की जरूरत नहीं होगी ।

2. यह भी निश्चय किया गया है कि सीमा शुल्क द्वारा बद्ध माल गोदाम से ट्रैक्टरों के आयातित फालतू पुर्जों के संभरण प्राप्त करने की सुविधा यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की बचत धारा संख्या : 11(2)(1) में दी ई व्यवस्था के अनुसार अपने खुद के उपयोग के लिये किसी व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के आयात के संबंध में भी लागू होगी । दूसरे शब्दों में, उक्त बचत धारा में अनुबद्ध अन्य शर्तों को पूरा करने पर ट्रैक्टरों का स्वामी व्यक्ति सीमा शुल्क द्वार बद्ध माल-गोदाम से ट्रैक्टरों के आयातित फालतू पुर्जों का संभरण प्राप्त कर सकता है और इसके लिये लाइसेंस प्राधिकारी से किसी प्रकार की विशेष अनुमति नहीं प्राप्त करनी पड़ेगी ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975